उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P. Power Corporation Limited

(U.P. Government Undertaking)

CIN: U32201UP1999SGC024928	GSTIN: 09AAACU5088M4ZM

कारपोरेट टैक्स एवं जी0एस0टी0 सेल Corporate Tax & GST Cell

कक्ष संख्या–320,तृतीय तल, शक्ति भवन, 14–अशोक मार्ग, लखनऊ–226001, ई–मेल - dgmtaxuppcl@gmail.com
Room No.– 320 IIIrd Floor, Shakti Bhawan, 14-Ashok Marg, Lucknow-226001, RAX – 8320,

दिशा–निर्देश सं0: /का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 दिनांक 03 / 11 /2020

समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी
उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0।

विषय :– <u>डिपॉजिट आधार पर किये जाने वाले कार्यों पर जी0एस0टी0 सम्बन्धी दिशा–निर्देश।</u>

कृपया कार्य अनुभाग द्वारा निर्गत पत्रांक 1033–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–138–के/2011 दिनांक 24.08.2020 (संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके माध्यम से विभिन्न डिस्कामों में जमा योजना के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यों हेतु प्राक्कलन बनाये जाने में समरूपता के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश दिये गये है। उक्त पत्र में यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य/जमा योजना कार्य सम्बन्धित डिस्कॉम्स द्वारा स्वयं कराये जाने की स्थिति में एवं यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य/जमा योजना कार्य वाह्य संस्था/विभाग/निगम द्वारा स्वयं किये/कराये जाने की स्थिति में DISCOM हेतु पृथक–पृथक निर्देश दिये गये है। उक्त पत्र के बिन्दु सं0 ब(5) के अनुसार यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य/जमा योजना कार्य वाह्य संस्था/विभाग/निगम द्वारा स्वयं किये/कराये जाने की स्थिति के अनुसार परिवेक्षणीय शुल्क के साथ प्राक्कलित राशि पर भारित पूर्ण जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार वाह्य संस्था/निगम/ विभाग द्वारा सम्बन्धित डिस्कॉम्स को करना होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में संज्ञान में आया है कि कुछ जमाकर्ताओं द्वारा यह आपत्ती जताई गयी है कि चूंकि उनके द्वारा सिर्फ Supervision Charges ही डिस्कॉम को दिये जा रहे है तद्नुसार जी0एस0टी0 भी सिर्फ Supervision Charges पर देय होगा।

उपरोक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जी0एस0टी0 अधिनियम 2017 की धारा 15 के अनुसार Taxable Value का निर्धारण किया जाता है जिसकी उपधारा 2(b) के अनुसार “The value of supply shall include any amount that the supplier is liable to pay in relation to such supply but which has been incurred by the recipient of the supply and not included in the price actually paid or payable for the goods or services or both;” अर्थात ऐसी राशि जिसका भुगतान सेवा प्रदाता (UPPCL/Discom) द्वारा किया जाना था किन्तु किसी कारणवश भुगतान सेवा प्राप्तकर्ता (इस प्रकरण में NHAI) द्वारा किया जाता है ऐसी राशि को भी Taxable Value में शामिल किया जायेगा एवं उस पर जी0एस0टी0 देय होगा।

अतः जमा कार्यों में जो राशि UPPCL/Discom द्वारा कार्यदायी संस्था को देय थी वाह्य संस्था/विभाग/ निगम द्वारा स्वयं कार्य कराये जाने की स्थिति में कथित संस्था/विभाग/निगम द्वारा देय होगी एवं उपरोक्त प्रावधानो के अनुसार वह राशि भी जी0एस0टी0 के दायरे में आयेगी, तद्नुसार पूर्ण प्राक्कलन की राशि पर जी0एस0टी0 देय होगा।

उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में M/s Rajasthan Rajya Vidyut Prasaran Nigam Ltd. हेतु Rajasthan Authority For Advance Ruling द्वारा पारित Advance Ruling के अनुसार जमा कार्य विद्युत निगम द्वारा कराये जाने पर अथवा सुपरविजन चार्जेस का भुगतान कर बाह्य संस्था/विभाग/निगम द्वारा कराये जाने पर, दोनों ही प्रकरणों में पूर्ण राशि पर जी0एस0टी0 देय होगा।

अतः ऐसे जमाकर्ता जिनके द्वारा स्वयं कार्य कराये जाने पर सम्पूर्ण धनराशि पर जी0एस0टी0 देने में आपत्ती जताई जा रही है, उनको उपरोक्तानुसार सूचित करना सुनिश्चित करें।

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

दिशा–निर्देश सं0: 08A/का0टैक्स एवं जी0एस0टी0/2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रबन्ध निदेशक के निजी सचिव, उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
2. निदेशक (वाणिज्य)/कारपोरेट प्लानिंग/वितरण/वित्त/का0प्र0 एवं प्रशा0 उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
3. निदेशक (वित्त), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/ लखनऊ/वाराणसी/ मेरठ/आगरा/कानपुर।
4. निदेशक (तकनीकी), मध्यांचल/पूर्वांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को/ लखनऊ/वाराणसी/ मेरठ/आगरा/कानपुर।
5. अधिशासी निदेशक (वित्त एवं लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
6. उप महाप्रबन्धक (सामग्री प्रबन्ध), परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, महानगर लखनऊ को इस अनुरोध के साथ के अपने अधीनस्थ इकाईयों को तदनुसार सूचित करने की कृपा करें।
7. उप महाप्रबन्धक (लेखा प्रशासन/कारपोरेट लेखा) उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन लखनऊ।
8. उप निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ।
9. अनुसचिव (स0 प्र0 लेखा), उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान)/केन्द्रीय भुगतान प्रकोष्ठ/पी0एम0यू0/वेतन एवं लेखा, उ0प्र0 पा0 का0 लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियन्ता, वेबसाइट, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, रूम नं0 409, चतुर्थ तल शक्ति भवन को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

Awasthi

(ए0 के0 अवस्थी)
मुख्य महाप्रबन्धक (लेखा एवं सम्प्रेक्षा)

उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

U.P. POWER CORPORATION LIMITED

(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN NO: U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन ,14–अशोक मार्ग,
लखनऊ–226 001

संख्या : 1033–कार्य / चौदह–पाकालि / 2020–138–के / 2011 दिनांक: अगस्त, 24, 2020

प्रबन्ध निदेशक,
पश्चिमांचल / पूर्वांचल / दक्षिणांचल /
मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0,
मेरठ / वाराणसी / आगरा / लखनऊ
एवं केस्को, कानपुर।

विषय– विभिन्न डिस्कामों में जमा योजना के अन्तर्गत कराए जाने वाले कार्यो हेतु प्राक्कलन बनाये जाने में समरूपता के सम्बन्ध में दिशा निर्देश।

महोदया / महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषय में आ रही विभिन्न विषमताओं के समाधान हेतु उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं उसकी सहयोगी सभी वितरण निगमों के अन्तर्गत कराये जाने वाले यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य / जमा योजना कार्यों के सम्बन्ध में निम्नवत् दिशा–निर्देश निर्गत किये जाते है :–

अ– यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य / जमा योजना कार्य सम्बन्धित डिस्कॉम्स् द्वारा स्वयं कराये जाने की स्थिति में

1. सम्बन्धित कार्य का प्राक्कलन सर्वे के अनुसार बनाया जायेगा।
2. प्राक्कलन में सामग्रियों की दर उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित Cost Data Book के अनुसार समाहित की जायेगी।
3. उक्त प्राक्कलित राशि पर जी0एस0टी0, लेबर सेस एवं कार्य कराये जाने का व्यय इत्यादि नियमानुसार अध्यारोपित किया जायेगा।
4. परिवेक्षणीय शुल्क नियमानुसार विभिन्न विभागों के संदर्भ में निर्गत आदेशों के अनुसार लगाया जायेगा।
5. जमा कार्य के प्राकलन की सकल लागत में किसी सामग्री अथवा सम्पत्ति के नाशरक्षण / अवशिष्ट मूल्य को समायोजित नहीं किया जायेगा अर्थात् संबंधित संस्था / निगम / विभाग से कार्य की सम्पूर्ण लागत ही प्राप्त की जायेगी।
6. यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य में उतारी / वापस सामग्री विद्युत वितरण निगमों के पास ही रहेगी। परन्तु यदि यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य में उतारी / वापस सामग्री संबंधित जमाकर्ता जिसके लिये कार्य किया जा रहा हो, से पूर्व में प्राप्त वित्तीय सहायता से निर्मित की गयी थी तो इस सामग्री को ह्रसित मूल्य (Depreciated Value) पर संबंधित संस्था को संयुक्त सत्यापन (सामग्री एवं मूल्य) के उपरान्त वापस किया जायेगा। इसका समायोजन प्राक्कलन की लागत से नहीं किया जायेगा।
7. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित प्राक्कलन (As Executed Estimate) अनिवार्य रूप से बनाया जाय तथा निष्पादित प्राक्कलन में सभी प्रकार के व्ययों एवं करो आदि को सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तर 6 के सन्दर्भ मे यदि सामग्री संस्था को वापस की जाती है तो उसे भी निष्पादित प्राक्कलन के सलंग्नक के रुप मे प्रस्तुत किया जायेगा। निष्पादित प्राक्कलन में वृद्धि होने पर सम्बन्धित संस्था / निगम / विभाग से अन्तर की धनराशि नियमानुसार प्राप्त की जायेगी एवं निष्पादित प्राक्कलन में कमी होने पर सम्बन्धित संस्था / निगम / विभाग को अन्तर की धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी ।

R 311 (20-21)

ब– यूटीलिटी शिफ्टिंग कार्य/जमा योजना कार्य वाह्य संस्था/विभाग/निगम द्वारा स्वयं किये/कराये जाने की स्थिति में

1. डिस्कॉम द्वारा सम्बन्धित कार्य का प्राक्कलन सर्वे के अनुसार बनाया जायेगा।
2. प्राक्कलन में सामग्रियों की दर उ0प्र0 विद्युत नियामक आयोग द्वारा अनुमोदित Cost Data Book के अनुसार समाहित की जायेगी।
3. उक्त प्राक्कलित राशि पर जी0एस0टी0, लेबर सेस एवं कार्य कराये जाने का व्यय इत्यादि नियमानुसार अध्यारोपित किया जायेगा।
4. प्राक्कलित राशि (समस्त कर सहित) पर परिवेक्षणीय शुल्क नियमानुसार विभिन्न विभागों के संदर्भ में निर्गत आदेशों के अनुसार लगाया जायेगा।
5. परिवेक्षणीय शुल्क के साथ प्राक्कलित राशि पर भारित पूर्ण जी0एस0टी0 का भुगतान नियमानुसार वाह्य संस्था/निगम/विभाग द्वारा सम्बन्धित डिस्कॉम्स को करना होगा।
6. कार्य में सृजित सम्पत्ति का स्वामित्व संबंधित डिस्कॉम्स का ही होगा।
7. कार्य के सम्बन्ध में सॉल्वेज वैल्यू का समायोजन संबंधित संस्था/निगम/विभाग को प्रदान नहीं किया जायेगा और न ही उतारी गयी सामग्री उन्हें वापस की जायेगी, अर्थात् वाह्य संस्था/विभाग/निगम को उतारी गई सामग्री सम्बन्धित डिस्कॉम में जमा करनी होगी। परन्तु यदि यूटिलिटी शिफ्टिंग के कार्य में उतारी/वापस सामग्री संबंधित जमाकर्ता जिसके द्वारा कार्य कराया जा रहा हो, से पूर्व में प्राप्त वित्तीय सहायता से निर्मित की गयी थी तो इस सामग्री को ह्रासित मूल्य (Depreciated Value) पर संबंधित संस्था को संयुक्त सत्यापन (सामग्री एवं मूल्य) के उपरान्त वापस किया जायेगा। इसका समायोजन प्राक्कलन की लागत से नहीं किया जायेगा।
8. कार्य पूर्ण होने के पश्चात् निष्पादित प्राक्कलन As Executed Estimate अनिवार्य रूप से बनाया जाय तथा निष्पादित प्राक्कलन में सभी प्रकार के व्ययों एवं करों आदि को सम्मिलित किया जायेगा। इसके अतिरिक्त प्रस्तर –7 के सन्दर्भ में यदि सामग्री संस्था को वापस की जाती है तो उसे भी निष्पादित प्राक्कलन के सलंग्नक के रुप में प्रस्तुत किया जायेगा। निष्पादित प्राक्कलन में वृद्धि होने पर सम्बन्धित संस्था/निगम/विभाग से परिवेक्षणीय शुल्क एवं पूर्ण प्राक्लन पर जीएसटी के अन्तर की धनराशि नियमानुसार प्राप्त की जायेगी एवं निष्पादित प्राक्कलन में कमी होने पर सम्बन्धित संस्था/निगम/विभाग को परिवेक्षणीय शुल्क एवं पूर्ण प्राक्लन पर जीएसटी के अन्तर की धनराशि नियमानुसार वापस की जायेगी ।

स– उक्त के अतिरिक्त कारपोरेशन की निर्धारित प्रक्रिया एवं नियमों के अन्तर्गत अपेक्षित कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी।

उपरोक्त के सम्बन्ध में कृपया अपने नियन्त्रणाधीन इकाईयों को उक्त दिशा–निर्देश का अनुपालन सुनिश्चित कराने का कष्ट करें। अन्यथा की स्थिति में यदि कहीं पर उदासीनता एवं शिथिलता संज्ञान में आती है तो सम्बन्धित अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

भवदीय,

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक

संख्या : 1033(i)–कार्य/चौदह–पाकालि/2020–138–के/2011 तद्‌दिनांक।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, ऊर्जा उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
2. अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग/नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन, बापू भवन, लखनऊ।
4. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0/वित्त/वितरण/वाणिज्य/कारपोरेट प्लानिंग), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
5. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0) (वित्त/तकनीकी, पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल, विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ एवं मुख्य अभियंता, केस्को, कानपुर।

6. महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय राज्य मार्ग प्राधिकरण, लखनऊ।
7. मुख्य अभियंता, जानपद, पारेषण–द्वितीय, 9वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. समस्त मुख्य अभियंता (वितरण), समस्त डिस्काम।
9. समस्त अधीक्षण अभियंता (वितरण), समस्त डिस्काम।
10. अधीक्षण अभियंता, जानपद, मुख्यालय, 9वां तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
11. अधिशासी अभियंता (वेब), कक्ष सं0 407, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को वेबसाइट www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।
12. कट फाइल।

(एम0 देवराज)
प्रबन्ध निदेशक